न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 22/18 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00075

उनवान

1. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र श्री प्रभू जाति गूजर निवासी ग्राम झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. उदयराम
2. जयराम
3. रामजीत
4. बलराम

पुत्रगण रामचरन जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

5. रामधनी पुत्र छिंगा पत्नी पूनी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. ढकेली पुत्री छिंगा पत्नी हरी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिा भरतपुर।
7. धनमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी महाराज सिंह जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर।
8. भगमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी मोहन सिंह जाति जोगी निवासी धाधोली तहसील व जिला भरतपुर।
9. अतरवाई पुत्री छिंगा पत्नी किशोरी जाति जोगी निवासी चुरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
10. रामपति वेवा रघुनाथ जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
11. हरी पुत्र धर्मा जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर।
12. मु0 जमीला वेवा मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
13. अमरूद्दीन पुत्र मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
14. रामस्वरूप (मृतक)
    14/1. भोला पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति हरीजन निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
15. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 26.02.2004 प्र.सं. 114/2000 उनवानी रामचरन बनाम छिंगा वगै0

अपील संख्याः– 21/18 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00076

उनवान

1. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र श्री प्रभू जाति गूजर निवासी ग्राम झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फीस कमीश्नर		

बनाम

1. उदयराम
2. जयराम
3. रामजीत
4. बलराम

पुत्रगण रामचरन जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

5. रामधनी पुत्र छिंगा पत्नी पूनी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. ढकेली पुत्री छिंगा पत्नी हरी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिा भरतपुर।
7. धनमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी महाराज सिंह जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर।
8. भगमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी मोहन सिंह जाति जोगी निवासी धाधोली तहसील व जिला भरतपुर।
9. अतरवाई पुत्री छिंगा पत्नी किशोरी जाति जोगी निवासी चुरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
10. रामपति वेवा रघुनाथ जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
11. हरी पुत्र धर्मा जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर।
12. मु0 जमीला वेवा मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
13. अमरूद्दीन पुत्र मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
14. रामस्वरूप (मृतक)

14/1. भोला पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति हरीजन निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

15. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 01.04.2004 प्र.सं. 114/2000 उनवानी रामचरन बनाम छिंगा वगै0

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिहं डागुर वकील अपीलांट।
2. श्री रमन लाल मित्तल वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–19.11.2024

1. यह दोंनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2004 (प्राथमिक डिक्री) एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2004 (अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध पेश की गई है। दोंनों अपीलो में समान विषय वस्तु, समान पक्षकार एवं समान आराजी होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति पृथक–पृथक अपील पत्रावली में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 22/2018 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम झालाटाला तहसील वैर में स्थित है। उभयपक्षकारान विवादित आराजी के सहखातेदार हैं एवं विवादित आराजी पर मनवट के आधार पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 ने वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष को एलानियॉ धमकी दी कि वह उन्हें विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

देंगें एवं अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुंतकिल करेंगें। अतः वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2004 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार वैर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. अपील संख्या 21/2018 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम झालाटाला तहसील वैर में स्थित है। उभयपक्षकारान विवादित आराजी के सहखातेदार हैं एवं विवादित आराजी पर मनवट के आधार पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 ने वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष को एलानियॉ धमकी दी कि वह उन्हें विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देंगें एवं अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुंतकिल करेंगें। अतः वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 26.02.2004 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार वैर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार वैर से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2004 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है

4. दोंनो अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारो के विवादित आराजी में हिस्से की घोषणा नहीं की गयी है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। प्रकरण में समस्त सहखातेदारो को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। बॅटवारा सभी का पृथक–पृथक होना चाहिये जबकि कुछ को संयुक्त एवं कुछ को पृथक–पृथक कर दिया है। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पारित करने में भी विभाजन के नियमो की कोई पालना नहीं की गयी है। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। उपबटा नम्बरो का नक्शा भी विभिन्न रंगो में नहीं बनाया। मियाद के संबंध में निवेदन है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी। सर्वप्रथम अपीलाण्ट को दिनांक 07.03.2018 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन डिक्री की जानकारी हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार किये जाने एवं दोंनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती। अधीनस्थ न्यायालय में 7 प्रतिवादियों में से केवल एक प्रतिवादी हंसराम ने अपील प्रस्तुत की है,

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आप को अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा की मद संख्या 05 में विवादित आराजी के बँटवारे की सहमति दी है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.02.2004 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। अपीलाण्ट का यह कथन गलत है कि प्राथमिक डिक्री में हिस्से नहीं खोले गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जमाबंदी संवत 2054–57 में पक्षकारो के हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये हैं। अतः आपत्ति अपीलाण्ट सारपूर्ण नहीं है। जहाँ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है। अंतिम डिक्री के समय हंसराम अपीलाण्ट के वकील न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। यदि उन्हें विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति थी तो वह आपत्ति कर सकते थे। परन्तु उनके द्वारा विभाजन प्रस्तावो पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। कुर्रे की रिपोर्ट में बट नम्बर डालकर बाकायदा लाइनिंग हो रही है एवं नजरी नक्शा भी पृथक– पृथक रंगो से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील 14 वर्ष बाद यह कहते हुये प्रस्तुत की गयी है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 07.03.2018 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन डिक्री की जानकारी हुयी। जबकि सत्य यह है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की शुरू से ही जानकारी रही है। रैस्पो0 ने अपील पत्रावली में प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सीपीसी के साथ उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज यथा दिनांक 16.09.2008 को अपीलाण्ट द्वारा पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करना। एन0एच0 के विस्तार के लिये, एन0एस0 से मुआवजा प्राप्त करना। पीएनबी से मुताबिक कुर्रे आयी जमीन पर लौन लेना एवं तीन बार विवादित आराजी को विक्रय करने के लिये इकरारनामा कराना एवं संविदा की विशिष्ट पालना के लिये सन् 2018 में सिविल न्यायालय में दावा करना आदि तथ्यों से स्पष्ट साबित है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की सम्पूर्ण एवं शुरु से ही जानकारी रही है। फिर भी उन्होनें धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अपीलाण्ट तथ्यों को छुपाते हुये, क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। डिक्री सहमति से हुयी है। अतः अपीलाण्ट को अपील करने का अधिकार ही नहीं है। अंत में दोंनों अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियांद के बिन्दू पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का निवेदन है कि दिनांक 07.03.2018 को पटवारी हल्का से डिक्री की नकल लेने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी। हमने वकील रैस्पो0 की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि दिनांक 16.09.2008 को अपीलांट ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की है एवं दिनांक 08.07.2004 को अंतिम डिक्री का नामांतरण संख्या 945 खुला। तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने कुर्रे में प्राप्त भूमि का नेशनल हाइवे के विस्तार में अवाप्त भूमि का मुआवजा भी प्राप्त किया एवं पंजाब नेशनल बैंक से स्वयं के कुर्रे में प्राप्त आराजी का लोन भी लिया गया है। उसके पश्चात् स्वयं को प्राप्त कुर्रे की आराजी का तीन विभिन्न व्यक्तियों को इकरारनामा भी किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन की उन्हें दिनांक 07.03.2018 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, सारपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा अपीलांट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री जारी होते समय उपस्थित रहे है

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

एवं अपीलांट द्वारा अपने जवाब दावा की बिन्दू संख्या 5 में प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति दी गयी है। इस प्रकार अपीलांट को प्रकरण की शरू से ही जानकारी रही है एवं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पूर्ण सुनवाई का मौका मिला है। जहां मियाद का स्पष्टीकरण प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक हो। वहॉ अपील प्रस्तुत करने में 14 वर्ष का सुदीर्घ विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर ही अपील खारिज योग्य है।

8. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। अपीलांट की प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति यह रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान के हिस्से नहीं खुले गए है। चूंकि प्रकरण विभाजन का है एवं विभाजन के प्रकरण में जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते समय वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के राजस्व जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 वाके ग्राम झालाटाला तहसील वैर में वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किए गए है। अतः अपीलांट का यह तर्क की प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्से नहीं खोले गए है, सारपूर्ण नहीं है। हमने पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्तावों का भी अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में ही तैयार किए गए है। विभाजन प्रस्तावों पर उप तहसीलदार भुसावर के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं एवं उप विभाजित खसरा नम्बरों का नजरी नक्शा विभिन्न–विभिन्न रंगों में तैयार किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह कथन नहीं किया कि विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार से गलत है। चूंकि अपीलांट द्वारा नेशलन हाइवे से मुआवजा भी प्राप्त किया है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अच्छी–अच्छी भूमि रेस्पो0 को दी गई हो। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में भूमिधारी के अतिरिक्त 7 प्रतिवादीगण थे परन्तु अपील शेष प्रतिवादीगण को छोड़कर केवल एक अपीलांट हंसराज द्वारा प्रस्तुत की गई है। वह भी 14 वर्ष के सुदीर्ध विलम्ब के साथ एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों ही स्तर पर खारिज योग्य रहती है।

9. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2004 प्राथमिक डिक्री व 01.04.2004 अंतिम डिक्री यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। दोनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
(अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या 22/18(223 आर.टी. एक्ट.)

अपील सख्याः– 22/18 (223 आर० टी० एक्ट)
जीसीएमएस संख्या रू– 2018/75

उनवान

1. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र श्री प्रभू जाति गुर्जर निवासी ग्राम झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर। .....अपीलांट

बनाम

1. उदयराम
2. जयराम
3. रामजीत
4. बलराम

पुत्रगण रामचरन जाति मीना झालाटाला तहतील वैर जिला भरतपुर।

5. रामधनी पुत्र छिंगा पत्नी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. ढकेली पुत्री छिंगा पत्नी हरी जाति जोगी निवासी खदराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
7. धनमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी महाराज सिंह जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
8. भगमन्ती पुत्री छिंगा पत्नी मोहन सिंह जाति जोगी निवासी धाधोली तहसील वैर जिला भरतपुर।
9. अतरवाई पुत्री छिंगा पत्नी किशोरी जाति जोगी निवासी चुरखेडा तहसील महवा जिला दौसा।
10. रामपति वेवा रघुनाथ जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
11. हरी पुत्र धर्मा जाति जोगी निवासी झालाटाला तहसील वैर।
12. मु0 जमीला वेवा मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
13. अमरूद्दीन पुत्र मंगल जाति फकीर निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।
14. रामस्वरूप (मृतक)

14/1. भोला पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति हरीजन निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

15. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 26.02.2004 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 114/2000 उनवान रामचरन बनाम छिंगा वगै0।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री रमन लाल मित्तल मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2004 यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख...19...माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत..
मुहर
औहदा भू प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दी, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

दस्तखत..
मुहर
औहदा